

सत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रतिभार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 21, 1977/साय 1, 1898

No. 24]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 21, 1977/MAGHA 1, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January 1977

SO 33(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Cabinet Secretariat (Department of Personnel and Administrative Reforms) No 381/3/76-AVD.III [SO 74(E)], dated the 3rd February, 1976 (relating to the Commission of Inquiry consisting of Shri Justice R S Sarkaria), published in the Gazette of India Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-section (ii), dated the 3rd February, 1976, namely:—

In paragraph 4 of the said notification, for the words, figures and letters "on or before the 1st day of February, 1977" the words figures and letters "on or before the 31st day of January, 1978" shall be substituted.

[No 381/53/76-AVD III]

R. C MISRA, Addl Secy.

संविमंडल सचिवालय
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1977

क्र० आ० 33(अ) —जाच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत के असाधारण राजपत्र-भाग II-खण्ड 3-उपखण्ड (ii), दिनांक 3 फरवरी, 1976 में प्रकाशित, (न्यायाधीश श्री आर० एस० सर-कारिया जाच आयोग से संबंधित) भारत सरकार, संविमंडल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की दिनांक 3 फरवरी, 1976 की अधिसूचना संख्या 381/3/76-ए०बी०डी०-III [क्र० आ०-74(अ)] में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में “1 फरवरी, 1977 को या उस से पूर्व” शब्दों, अको तथा अक्षरों के स्थान पर “31 जनवरी, 1978 को या उस से पूर्व” शब्द, अक तथा अक्षर रखे जाएंगे।

[स० 381/53/76-ए०बी०डी०-III]

रमेश चन्द्र मिश्र, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977